



## **GOVT. NAVEEN COLLEGE BORI, DIST. DURG (C.G.)**

### **6.3.5**

- 1) Blank Format of PBAS**
- 2) Guideline to fill PBAS**

# कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

## गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग-एक नियुक्ति का विषय :

प्रतिवेदित अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

1. पूरा नाम .....  
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें)
2. पिता का नाम .....  
.....
3. जन्मतिथि .....  
.....
4. शिक्षणिक अंहता एवं वर्ष ..... स्नातक ..... एम.फिल्ड .....  
..... स्नातकोत्तर ..... पी.एच.डी. ....
5. वेतन व वेतनमान ..... वेतन ..... वेतनमान .....  
**स्नातक भविष्य नियुक्ति द्वारा क्रमांक**
6. महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी  
(अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक : .....  
(ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक : .....  
(स) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक : .....  
.....
7. वर्ष में किस-किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें :  
(यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक फार्म भरा जाये)  
(i) .....  
(ii) .....  
(iii) .....

*प्राचार्य*  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

8. प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अवधि में किये गए कार्य की जानकारी :

वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स (कालखंड) की संख्या

क्र.	पदाई गई कक्षा का स्तर	सेवशन की संख्या	कुल छात्र संख्या	व्याख्यान	प्रायोगिक	टिटोरियल	विशेष कोचिंग
------	-----------------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	----------	--------------

1. स्नातक

2. स्नातकोचर

9. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई

10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई

11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गए शोध कार्य का विवरण

12. प्रकाशित कार्य का विवरण

13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये

(अ) एम.फिल के कितने छात्रों को

(ब) पीएच.डी. के कितने छात्रों को

14. कितने कमज़ोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी

15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया

(पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें)

16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

17. शैक्षणिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(अ) एन.सी.सी.

(ब) एन.एस.एस.

(स) परीक्षा संचालन

(महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया कार्य की प्रकृति एवं कितने दिन इस कार्य का संचालन किया)

(द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गए कार्य

(जैसे अनुशासन, जांच कार्य, छात्र संघ आदि)

(इ) अन्य कार्य

(जैसे- खेल संबंधी, सेमीनार आदि)

दिनांक .....  
*20 अक्टूबर*

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक  
के पूर्ण हस्ताक्षर

प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - हुर्ग (छ.ग.)

**भाग - दो**  
**(प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति)**

**प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भाग-१ में दिये स्वमूल्यांकन पर टीप**

1. क्या प्रतिवेदक अधिकारी के स्वमूल्यांकन में उल्लेखित किसी बिन्दु से आप असहमत हैं? यदि हाँ तो विवरण दें.....
  
  2. महाविद्यालय उत्तरदायित्वों को समय पर पूर्ण करने में रुचि.....
  
  3. क्या इन्होने आवंटित कोर्स पूर्ण किया.....
  
  4. छात्रों के लिये प्रयोगस
    - (अ) देदिप्यमान छात्रों के लिये क्या प्रयोग किये.....
    - (ब) कमज़ोर छात्रों के लिये क्या प्रयोग किये.....  
  5. उपरोक्त के क्या परिणाम रहे.....
  
  6. प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कार्यों में क्या तत्परता रही
  7. निष्ठा.....
  
  8. प्रतिवेदक अधि. का समग्र मूल्यांकन
- उत्कृष्ट/वहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया)
- टीप उत्कृष्ट या घटिया बर्गीकरण करने पर इसका औचित्य भी
- स्पष्ट: अंकित/क्षेत्र
- दिनांक: .....
- प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....

**भाग - तीन**

**(समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति)**

1. क्या आप प्रतिवेदक अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत हैं.....
2. यदि नहीं, तो कारणों सहित अपना अभिमत दें.....

दिनांक : .....

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....

**भाग - चार**

**(स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति)**

दिनांक : .....

स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....

*Chawla*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.)

हेतु  
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष .....

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम	.....
पदनाम	विषय
कर्मचारी कोड नं.	.....
महाविद्यालय	.....

*Jawishnekarne*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

## (भाग—क सामान्य सूचना)

- 1 नाम (बड़े अक्षरों में) :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 विभाग :
- 4 जिस विषय में विशेषज्ञता हो :
- 5 महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी

(i) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक : .....

(ii) नियमित नियुक्ति का दिनांक : .....

(iii) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक : .....

- 6 वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
- 7 पूर्व पदोन्नति की तिथि :
- 8 पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
- 9 रस्थायी पता (पिन कोड सहित) :

फोन नं. :

ई मेल :

- 10 यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
- 11 अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

- 12 वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस :

*कृष्णपाल*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

## भाग-ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खंड को भरने से पूर्व इस (पीबीएस) प्रोफॉर्म के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख लें)

वर्ग : 1. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

- (i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आवंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दरतावेजी रिकार्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं/प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

\* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रायोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएँ (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर काई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यूजी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

- (ii) पाठन/परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदेत ज्ञान/अनुदेश पर आधारित API अंक : विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए ( अधिकतम अंक : 20)				API अंक

*Chauhan*  
प्रदर्शन

प्रायोगिक कक्षा अधिकारी  
प्रायोगिक कक्षा अधिकारी

- (iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण –अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग,  
विषय- वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण			API अंक
	कुल अंक ( अधिकतम अंक : 20)			
(iv)	परीक्षा ड्यूटी, सौपीं गई एवं निष्पादित की गई			
क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौपीं गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक ( अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक .....

न्यूनतम अंको की आवश्यकता – 75

वर्ग : II सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i). विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक :20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक :15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियां		

*Shweta Mukherjee*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला -दुर्ग (छ.ग.)

कुल (अधिकतम अंक :15)		
कुल (i+ii+iii) (अधिकतम अंक 25)		

वर्ग : II मे न्यूनतम आवश्यक अंक – 15

वर्ग: III शोध, प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान

(क) जर्नल्स मे प्रकाशित पत्र

क्र.सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	ISSN/IS BN No.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ? प्रभावी घटक, यदि कोई है	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

(ख) (i) आलेख/अध्याय, पुस्तकों मे प्रकाशित

क्र.सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक शीर्षक संपादक एवं प्रकाशक	ISSN/IS BN No.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

(ख) (ii) सम्मेलन कार्यवाहियों मे पूर्ण पत्र

क्र.सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/IS BN No.	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

*प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)*

(ख) (iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकों

क्र.सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तत्व	प्रकाशक एवं ISSN/IS BN No.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

(ग) (III) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक

### III (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निवंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

*प्राचार्य*  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दूर्दा (छ.ग.)

III (ड.) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण-अनुशिक्षण-मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र.सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय है ?	API अंक

(iv) API अंकों का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्यतंत्र, विस्तार व्यवसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

*Pracharya  
Shastri  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)*

नाम :-

विषय :-

पदनाम :-

क्र.	विवरण	केवल स्नातक कक्षाओं के लिए		केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	
		गैर प्रायोगिक विषय	प्रायोगिक विषय	गैर प्रायोगिक विषय	प्रायोगिक विषय
01	अध्यापन				
02	व्याख्यान हेतु तैयारी				
03	प्रयोगशाला हेतु तैयारी				
04	द्यूटीसियल				
05	प्रयोगशाला कार्य				
06	शोध कार्य				
07	प्रशासनिक / शैक्षणिक कार्य				
08	टेस्ट परीक्षा				

हस्ताक्षर  
  
 प्राचार्य  
 शासकीय नवीन महाविद्यालय बोर्ड  
 जिला - दुर्ग (छ.ग.)

## PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफार्मा का भाग-ख, यूजीसी, विनियम 2010 के चारिहाई-111, तालिका-1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए आकादमिक तर्बे हेतु भरा जायेगा। प्रोफार्मा, इन तालिकाओं तथा ख्य आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृष्ठक-पृष्ठक द्वेत्री हेतु प्रदान किए गए या अगस्तारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है। स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

**नोट :** स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच तथा छानबीन-सह-जॉच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

**श्रेणी :** 1. शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, जॉच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली है उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भल्ला प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। 100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50	अधिकतम अंक : 50
--	-----------------

(ख)

यदि शिक्षक ने यूजीसी, प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली है, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10
---	-----------------

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य-विवरण के अनुसार पाठ्य-पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन (100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)	अधिकतम अंक : 20
--	-----------------

*Chukish Karmee*

प्राचार्य

प्राचार्य नवीन भहाविद्यालय बोरी

जिला - दुर्ग (छ.ग.)

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों, अध्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की स्थपरखा को अध्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण / अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अध्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक / ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय: संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्ठादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण / वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों / प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज / विश्वविद्यालय तथा सत्रीय / वार्षिक कार्य आवंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य—10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन—5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना— 5,अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज / विश्वविद्यालय परीक्षा / मूल्यांकन उत्तरदायित्व आवंटित किए गए अनुसार आंतरिक / निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

*(Signature)*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय तारी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

**श्रेणी : II सह-पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप**

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन/शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद/नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों/विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से <sup>प्रभाव</sup> (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10.
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप-प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, वर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक <sup>NCB</sup> (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबंध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन/प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय/प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक ख. स्थल स्तर पर :: प्रत्येक के लिए 2 अंक	10
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बैरें पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	10

*प्रायाय*

शासकीय नवीन महाविद्यालय योग्य

जिला - दुर्ग (म.ग.)

**श्रेणी : II सह-पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप**

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संरथानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निर्भाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संरथागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संरथान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों / विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संरथानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप-प्राचार्य, डीन, निर्देशक, वार्डन, वर्सर, स्वूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संरथानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन / प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

राजेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
त्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक	10
स. रधल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के	10

**प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय वोर्सी  
जिला - दुर्ग (उ.ग.)**

## सहभागिता

प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक

शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता  
(प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)

10

शिक्षा पर राज्य / केन्द्रीय निकायों / समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)

10

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदृश्यन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)

10

आधिकतम पूर्णांक सीमा

15

## वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंकों को, तालिका-1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

### III एपीआई अंकों का सारांश

दर्ज एवं के लिए एपीआई प्राप्तांकों को प्रगति अनुसार उत्तरांतर संचालित किया जायेगा। जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010-11 के लिए निर्मित चयन वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु जैसा में प्राप्तांकों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

### IV

इसी प्रकार पीबीएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका- IV से IX में रेखांकेत किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित हैं, इन संबंधों द्वारा विकसित किया जायेगा।

*प्र० (अमृत)*  
प्राचार  
संकोष नवीन महाविद्यालय दोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

श्रेणी— III अनुसंधान तथा अकादमिक योगदान

संक्षिप्त व्यौरा: शिक्षक के रव-भूल्यांकन के आधार पर, अनुसंधान तथा अकादमिक योगदानों 18 के लिए एपीआई अंक प्रस्तावित है। इस श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम् ए०पी०आई० अंक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के बीच पदोन्नतियों के विभिन्न रूपों के लिए अलग है। रव-भूल्यांकन अंक सत्यापन किए जाने योग्य मानदण्ड पर आधारित है तथा इन्हें रद्दीनिंग / चयन समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा।

क्र.सं.	ए०पी०आई०	इजोनियरिंग/ कृषि/पशु चिकित्सा विज्ञान/चिकित्सा विज्ञान	कला/मानविकी/ सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/ शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन संकाय	विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक के पद के लिए अधिकतम अंक
III (क)	इन विषयों में प्रकाशित अनुसंधान पत्र	संदर्भ जनरल*	संदर्भित जनरल*	15 प्रति प्रकाशन
		गैर-संदर्भित परंतु मान्यता प्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पीरीयोडिकल जिनके आईएसबीएन/आइए सएसएन नंबर हो।	गैर-संदर्भितपरंतु मान्यता प्राप्त तथा जाने माने जनरल तथा पीरीयोडिकल जिनके आईएसबीएन/आइएसए सएसएन नंबर हों।	10 प्रति प्रकाशन
III (ख)	अनुसंधान प्रकाशन (पुस्तकों, पुस्तकों में अध्याय संदर्भित पत्रिका में संदर्भित अनुच्छेद।	पूर्ण कागजातों आदि के रूप में सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाए)	पूर्ण कागजातों आदि के रूप में सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाना)	10 प्रति प्रकाशन
		पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी मानी 'पीयर रिव्यू प्रणाली' द्वारा प्रकाशित किया गया हो।	पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी मानी 'पीयर रिव्यू प्रणाली' द्वारा प्रकाशित किया गया हो।	एक मात्र लेखक द्वारा 50; संपादित पुस्तक में 10 प्रति अध्याय।

	राष्ट्रीय / राज्य के प्रकाशकों के सहकार द्वारा प्रकाशकों द्वारा दिए गए उत्तरों की जिनकी आईएसवीएन / आईएसएन संख्या हो।	राष्ट्रीय / राज्य के प्रकाशकों द्वारा सहकार के प्रकाशकों द्वारा दिए गए पुस्तकों की जिनकी आईएसवीएन / आईएसएन संख्या हो।		
	आईएसवीएन / आईएसएन संख्या वाली स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयगत पुस्तकों।	आईएसवीएन / आईएसएन संख्या वाली स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयगत पुस्तकों।		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा संपादित ज्ञान आधारित खेड़ों में अध्यायों का योगदान।	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा संपादित ज्ञान आधारित खेड़ों में अध्यायों का योगदान।		
	आईएसवीएन / आईएसएन संख्या वाली पुस्तकों में राष्ट्रीय / भारतीय सत्र के प्रकाशकों द्वारा ज्ञान आधारित अध्याय तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबर।	आईएसवीएन / आईएसएन संख्या वाली पुस्तकों में राष्ट्रीय / भारतीय सत्र के प्रकाशकों द्वारा इन आधारित अध्याय तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबर।		
III.(ग)	अनुसंधान परियोजनाएँ			
III.(ग). (i)	प्रायोजित परियोजनाएँ समाप्त / चल परियोजनाएँ।	रही (क) 30 लाख से ऊपर के अनुदान की जुटाई गई धनराशि वाली बड़ी परियोजनाएँ।	6.0 लाख से ऊपर के अनुदान की जुटाई गई धनराशि वाली बड़ी परियोजनाएँ।	20 प्रति अध्याय

*Praveshwaran*  
प्राचार्य  
ग्रामीण नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

	(ख) 5.0 लाख से 30 लाख रुपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएँ।	न्यूनतम 5.0 लाख से 30 लाख रुपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएँ।	15 प्रति योजनाएँ
	(ग) लघु परियोजनाएँ (50 हजार से 5 लाख रुपए तक जुटाये गए अनुदान वाली परियोजनाएँ )	लघु परियोजनाएँ (25 हजार से 3 लाख रुपए तक जुटाये गए अनुदान की धनराशि)	10 प्रति योजनाएँ
III.(ग). (ii)	परामर्शदात्री परियोजनाएँ	न्यूनतम 10.0 लाख रुपए की जुटाई गई धनराशि	क्रमशः प्रत्येक 10 लाख पर 10 तथा 2.00 लाख पर 10
III.(ग). (iii)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ: गुणवत्ता मूल्यांकन	पूर्ण की गई परियोजनाओं की रिपोर्ट (वित्तपोषण करने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकार्यता)	20 प्रति बड़ी परियोजना तथा 10 प्रति लघु परियोजना
III.(ग). (iv)	परियोजनाएँ निष्कर्ष / परिणाम	पेटेंट / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / उत्पाद / प्रक्रिया	प्रत्येक राष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट पर 30 या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रति 50
III.(घ). (ii)	अनुसंधान मार्गदर्शन		
III.(घ). (i)	एम०फिल०	केवल डिग्री प्रदान की गई	3 प्रति अभ्यर्थी
III.(घ). (ii)	पीएच०डी०	केवल डिग्री प्रदान की गई	10 प्रति अभ्यर्थी
		शोध प्रबंध जमा किया गया	7 प्रति अभ्यर्थी

## प्राकार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय वोरी  
ज़िला - दुर्ग (छ.ग.)

III.(ङ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन/संगोष्ठि/कार्यशाला पत्र।

III.(ङ). (ii)	पुनर्शर्चया पाठ्यक्रम, पद्धति कार्यशाला, प्रशिक्षण, सिंध्यण-विज्ञाता कार्यक्रम, सॉफ्ट स्ट्रिक्ट, डेवलपमेंट, प्रोग्राम, संकाय विकास कार्यक्रम (अधिकतम प्यार्इट) 30	(क) दो सप्ताहों से कम की अवधि न हो।  (ख) एक सप्ताह की अवधि	(क) दो सप्ताहों से कम की अवधि न हो।  (ख) एक सप्ताह की अवधि	प्रत्येक पर 20 प्रत्येक पर 10
III.(ङ). (iii)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में पत्र**।	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरण	अनुसंधान पत्रों (मौखिक/निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरण	
		(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रत्येक पर 10
		(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
		(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	प्रत्येक पर 5
		(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज स्तर	प्रत्येक पर 3
III.(ङ). (iv)	सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु लेक्चरों पर प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित	(क) अंतर्राष्ट्रीय	(क) अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर	(ख) राष्ट्रीय स्तर	5

20 अक्टूबर  
प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

	सम्मेलनों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि में पत्र।	अनुसंधान पत्रों (मौखिक / निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरण	अनुसंधान पत्रों (मौखिक / निम्नलिखित में पोस्टर) में भाग लेना तथा प्रस्तुतिकरण	
	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रत्येक पर 10
	(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 7.5
	(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	प्रत्येक पर 5
	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय / कालेज स्तर	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय / कालेज स्तर	(घ) स्थानीय विश्वविद्यालय / कालेज स्तर	प्रत्येक पर 10
(ङ) 5	सम्मेलनों / संगोष्ठियों हेतु लेक्चरों पर प्रस्तुतिकरण के आमंत्रित	(क) अंतर्राष्ट्रीय	(क) अंतर्राष्ट्रीय	प्रत्येक पर 10
		(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर	(ख) राष्ट्रीय स्तर	5

\*जहाँ कहाँ भी विशिष्ट संकाय के प्रति संगत हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु ए०प००आई० अंक को निम्नानुसार बढ़ाया जायेगा (i) इन्डेक्सड जनरल-५ अंक से (ii) १ तथा २ के बीच "इम्प्रेक्ट फैक्टर" वाले पत्र को २५ अंकों द्वारा (iii) २ से ५ के बीच

"इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्र के लिए 15 अंकों द्वारा (iv) 5 से 10 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्र के 25 अंकों से ।

\*\*यदि किसी पत्र को किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में रखा गया हो तथा कार्यवाही के रूप में प्रकाशित किया गया हो, तो अंक प्रकाशन के लिए जमा हो जायेंगे (III (क)) न की प्रस्तुतिकुरण के लिए जमा होंगे (III ड (iii))

#### नोट करें :

1. इन विनियमों में प्रत्यावित है कि समन्वय समिति तथा विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होगा कि वह छह माह के भीतर श्रेणी-III के तथा ख के तहत जर्नलों, परिसियाडिकल्स तथा प्रकाशनों की विषय-वार सूची तैयार करे तथा उसे प्रकाशित करे। उस समय तक, स्क्रीनिंग/चयन समिति प्रकाशनों के श्रेणीकरण तथा अंकों का मूल्यांकन तथा सत्यापन करेगी।
2. संयुक्त प्रकाशनों हेतु ए०पी०आर्ड० का निम्नलिखित पद्धति से परिकलन करना होगा: संबंधित शिक्षक द्वारा संगत श्रेणी के प्रकाशन के कुल अंक से प्रथम/मूल लेखक तथा उसके समकक्ष शिक्षक के लेखक/पर्यवेक्षक/सलाहकार कुल अंकों के 60 प्रतिशत को समान रूप से बाँट लेंगे तथा शेष 40 प्रतिशत सभी अन्य लेखकों द्वारा बराबर बाँटे जायेंगे ।

*Prachay*  
प्राचाय  
उत्तरकाशी नवीन महाविद्यालय वोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)